न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1244/2024

अनवान : –

1. मनीषा पुत्री जगदीश गिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

– **वादीया**

बनाम्

1. कमला पत्नी जगदीश गिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र जगदीश गिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. विकास पुत्र जगदीश गिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादीया**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 29/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 7.9550 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/27 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि पूर्व में वादीया के दादा के नाम थी वादीया की दादा की मृत्यु के उपरान्त वादीया के पिता जगदीश के नाम वाद भूमि दर्ज हुई तथा जगदीश गिर की फौतदगी के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम विरासतन दर्ज हुई। विरासन नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से वादीया का नाम सहवन से दर्ज होने से छूट गया इसलिए वादीया रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 7.9550 हैक्ट भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब प्रत्येक को 1/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीया जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी ... 445 दिनांक 05.10.2020, मृत्यु प्रमाण पत्र जगदीश, ग्राम पंचायत ... तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:29:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि पूर्व में वादीया के दादा के नाम थी वादीया की दादा की मृत्यु के उपरान्त वादीया के पिता जगदीश के नाम वाद भूमि दर्ज हुई तथा जगदीश गिर की फौतदगी के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम विरासतन दर्ज हुई। विरासन नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से वादीया का नाम सहवन से दर्ज होने से छूट गया इसलिए वादीया रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 7.9550 हैक्ट भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब प्रत्येक को 1/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 7.9550 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/27 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीया द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण की चित्रप्रति से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि का विरासतन नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में दर्ज हुआ है जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पचायंत की तस्दीक के अनुसार जगदीश गिर के वारिसान वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की जगदीश गिर के नाम दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 7.9550 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/27 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक को 1/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जातात है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/1/2025 क[illegible]रा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:29:28 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 1244 / 2024

अनवान : –

1. मनीषा पुत्री जगदीश गिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. कमला पत्नी जगदीश गिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र जगदीश गिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. विकास पुत्र जगदीश गिर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1244 सन 2024 निर्णय दिनांक 29/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 11 / 11 की कुल 7.9550 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1 / 27 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक को 1 / 36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाताा है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:29:28 IST
Reason: SelfAttested